संख्या-24/1480/12-3-2014-100(65)2013

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 17 जुलाई, 2014**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./43/लेखा-14/2014-15, दिनांक 3.4.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्टेबलिसमेंट ऑफ सोलर फोटोवैलेटिक इरीगेशन पम्प की स्थापना परियोजनान्तर्गत लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न तालिका के अनुसार रू0-33500 हजार (रू0 तीन करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू**0** में

क्र. सं.	योजना का नाम	एस.एल.एस. सी. की बैठक दिनांक	अनुमोदित धनराशि	लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	Estb. of solar photovoltaic irrigation pump	14.06.2013	219700	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय - आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0303-कृषि क्षेत्र की पूजीगत योजनाएं-26-मशीन साज सज्जा	33500

(रू0 तीन करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। दूसरी किश्त का आहरण प्रथम किश्त के 75: व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कृषि निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत क्रय भारत सरकार की गाइड लाइन व शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन किया जाय।

4- क्रय की जा रही मशीनों/उपकरणों का भुगतान तभी किया जायेगा जब क्रय की जा रही वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित मानक व विशिष्टियों के अनुरूप हो।

5- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की डुप्लीकेशी नहीं होगी तथा क्रय के लिए पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।

6- क्रय की जा रही वस्तु की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता के पक्ष में एकाउन्ट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा शासन के प्रचलित आदेशों के अनुसार भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक या पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा इंगित मशीन/उपकरण क्रय करने के बाद अवशेष बची धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के लिए आवश्यकता का सम्यक् पूर्वानुमान कर लिया गया है तथा आवश्यकता से अधिक परिमाण में क्रय नहीं किया जायेगा।

8- उपरोक्त शर्तो व नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व कृषि निदेशक/परियोजना अधिकारी का होगा।

9- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

10- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

11- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

12- उपर्युक्त तालिका पर अंकित योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की वर्ष 2013-14 की अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष/वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

13- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

14- उक्त तालिका के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0303-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गतं उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-462/दस-2014, दिनांक 07 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

संयुक्त सचिव।

सं**0-1480(1)/12-3-2014-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

संयुक्त सचिव।

http//:shasanadesh.up.nic.in